रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24052024-254326
CG-DL-E-24052024-254326

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 269]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 24, 2024/ज्येष्ठ 3, 1946
No. 269]	NEW DELHI, FRIDAY, MAY 24, 2024/JYAISHTHA 3, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2024

सा.का.नि.290(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रवर्तन निदेशालय (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2009 को, जहाँ तक उनका संबंध प्रवर्तन अधिकारी के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय में प्रवर्तन अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय में प्रवर्तन अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2024 हैं।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद- संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि :** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु- सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन अथवा अचयन पद।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रवर्तन अधिकारी	355* (2024) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100/- रू.)	चयन पद	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।**
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	(i) 75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा,

		जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। (ii) 25 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)

प्रोन्नति : प्रवर्तन निदेशालय में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.) में सहायक प्रवर्तन अधिकारीयों में से, जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दिए गए ग्रेड में दो वर्ष सेवा की हो।

टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन (जिसके अंतर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क या आयकर या केन्द्रीय और राज्य सरकार पुलिस या संघ राज्यक्षेत्र पुलिस संगठन, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सहित, के अधिकारी भी हैं) से अधिकारी :

(अ) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किया हो ; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7(44900-142400 रु) में या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दिए गए ग्रेड में दो वर्ष सेवा की हो; और

(आ) जिसके पास निम्नलिखित अनुभव हो:-

(i) राजवित्तीय या दंड विधि से संबंधित विधिक कार्य, आसूचना, अन्वेषण कार्य तथा न्यायनिर्णयन या अभियोजन के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 :- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी सरंचना।	**भर्ती करने में किन परिस्थतियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	**(13)**
विभागीय प्रोन्नति समिति :-	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं हैं।

1. प्रवर्तन निदेशक -अध्यक्ष 2. विशेष प्रवर्तन निदेशक या अतिरिक्त प्रवर्तन निदेशक -सदस्य 3. उप सचिव या निदेशक, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय -सदस्य	

[फा. सं. ए – 12018/4/ 2022- एडी.ईडी]

राजीव लोचन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2024

G.S.R.290(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Directorate of Enforcement (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2009, in so far as they relate to the post of Enforcement Officer except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the post of Enforcement Officer in the Directorate of Enforcement, Department of Revenue, Ministry of Finance, namely:-

1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Revenue, Directorate of Enforcement, Enforcement Officer (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix. -**The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.-** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Enforcement Officer.	355*(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Non-Ministerial, Gazetted, Group 'B'.	Level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100/-).	Selection post.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	(i) 75 per cent by promotion, failing which by deputation. (ii) 25 per cent by deputation.	**Promotion :** From amongst Assistant Enforcement Officers in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) in the Directorate of Enforcement with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors should also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation :** Officers from the Central Government or State Government or Union territory Administration (including officers of Central Excise or Customs or Income Tax or Central and State Government Police or Union territories Police Organisations including Central Bureau of Investigation) : (A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or	**Departmental Promotion Committee :** 1. Director of Enforcement- Chairperson; 2. Special Director of Enforcement or Additional Director of Enforcement - Member; 3. Deputy Secretary or Director, Department of Revenue, Ministry of Finance - Member.	Consultation with UPSC is not necessary.

			(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (B) possessing the following experience :- (i) two years' experience in the field of legal work, intelligence, investigation work and adjudication or prosecution, relating to fiscal or criminal laws. **Note 1:** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2**: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.		

[F. No. A-12018/4/2022-Ad.ED]

RAJEEV LOCHAN, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2024.05.24 20:13:53 +05'30'